



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन बल प्रमुख), राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ3 (13) प्रमुवसं/ट्री/तक0/21-22/522

दिनांक: 31/9/24

कार्यालय आदेश

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार नर्सरी के विभिन्न मॉडल्स में पौध तैयारी जिनमें 120 माइक्रोन से कम निर्मित पॉलीथीन बैग्स का प्रयोग किया जा रहा है, को प्रतिबंधित किया गया है। अतः भविष्य में 120 माइक्रोन से कम निर्मित पॉलीथीन बैग्स का प्रयोग पौध तैयारी हेतु नहीं करने के आदेश तत्काल प्रभाव से प्रसारित किये जाते हैं।

(अरिजीत बनर्जी)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)  
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:-एफ3 (13) प्रमुवसं/ट्री/तक0/21-22/

दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1-सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक, जयपुर/अजमेर/भरतपुर/कोटा/उदयपुर/बीकानेर/  
जोधपुर/वन्यजीव जयपुर/जोधपुर/कोटा/सरिस्का बाघ परियोजना, अलवर/रणथम्बौर  
बाघ पारियोजना, सवाई माधोपुर
- 2-समस्त उप वन संरक्षकगण, राजस्थान
- 3-उप वन संरक्षक, सूचना प्रौद्योगिकी, अरण्य भवन, जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर  
अपलोड कराने हेतु कराने हेतु ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)  
राजस्थान जयपुर।

**Signature valid**

Digitally signed by Arijit Banerjee  
Designation: Principal Chief  
Conservator Of Forest  
Date: 2024.09.03 17:50:53 IST  
Reason: Approved

